प्रश्न क्र. 208

परिशिष्ट - अ

[12/2/2024]

uired under this Act remains unutilised
ossession, the same shall be returned
: case may be, or to the Land Bank of
; may be prescribed by the appropriate

d Bank" means a governmental entity
l, abandoned, unutilised acquired lands

rred for higher consideration to be
d under this Act is transferred to any
having taken place on such land, forty
ongst the persons from whom the lands
t which the lands were acquired within

it sale or transfer that occurs after the

laws.-The provisions of this Act shall be
r the time being in force.

ise.-Notwithstanding anything contained
possible, be free to exercise the option of
public purpose referred to in sub-section

:rtain cases or to apply with certain
ovisions of this Act shall not apply to the
: Fourth Schedule.

Central Government may, by notification,
Fourth Schedule.

ition, within one year from the date of
sions of this Act relating to the determina-
edule and rehabilitation and resettlement
ieficial to the affected families, shall apply
ecified in the Fourth Schedule or shall apply
e the compensation or dilute the provisions
nd resettlement as may be specified in the

sued under sub-section (3), shall be laid in
ssion, for a total period of thirty days which
e successive sessions, and if, before the
n or the successive sessions aforesaid, both
ation or both Houses agree in making any
l not be issued or, as the case may be, shall
ed upon by both the Houses of Parliament.

101. अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना-जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए **"भूमि बैंक"** से कोई ऐसी सरकारी इकाई अभिप्रेत है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन की खाली, परित्यक्त, अनुपयोजित अर्जित भूमियों और कर-बकाया वाली संपत्तियों का उत्पादनकारी उपयोग में संपरिवर्तन करने पर ध्यान संकेन्द्रित करती है।

102. भूमि की कीमत में अन्तर जब उसे बांटे जाने वाले उच्चतर प्रतिफल के लिए अन्तरित किया जाता है-जब कभी इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि के स्वामित्व को प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो ऐसी भूमि पर कोई विकास न होने पर वर्धित भूमि मूल्य के चालीस प्रतिशत को उन व्यक्तियों के बीच, जिससे भूमि अर्जित की गई थी या उनके वारिसों के बीच उस मूल्य के, जिस पर भूमि का अर्जन किया गया था, अनुपात में अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर बांटा जाएगा :

परन्तु फायदा केवल उस प्रथम विक्रय या अंतरण पर प्रोद्भूत होगा जो अर्जन की कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात् होता है।

103. उपबंधों का विद्यमान विधियों के अतिरिक्त होना-इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

104. समुचित सरकार का पट्टे पर लेने का विकल्प-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, जहां कहीं संभव हो, धारा 2 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी भूमि का अर्जन करने के बजाय उसे पट्टे पर लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्वंत्रत होगी।

105. इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय दशाओं में लागू न होना या कतिपय उपांतरणों सहित लागू होना- (1) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्ध चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन से सम्बन्धित अधिनियमितियों को लागू नहीं होंगे।

(2) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों में किसी का लोप कर सकेगी या उनमें कुछ जोड़ सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देगी कि पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से सम्बन्धित इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध जो प्रभावित कुटुम्बों के लिए फायदाप्रद हों, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू होंगे या, यथास्थिति, ऐसे अपवादों या उपान्तरणों के साथ लागू होंगे, जो प्रतिकर को कम नहीं करते हैं या इस अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से सम्बन्धित ऐसे उपबन्धों को क्षीण नहीं करते हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना प्रारूप रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने से सहमत हों तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें।